देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचनाः–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1070 /भू अ० दिनांक : 15/9/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–जमुआ, थाना–सारठ, थाना सं०–426 , अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **बासुकीनाथ से चितरा नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–जमुआ, थाना–सारठ, थाना सं०–426 , अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **5.985** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	400	रैयती	धानी–3	0.005	होरिल पंडित पे० स्व० ऐतवारी पंडित वो तारणी पंडित वो धीरण पंडित पे० स्व० सुकर पंडित वो राजू पंडित वो गुजा पंडित पे० स्व० किरण पंडित। नि० ग्राम।	गोपाल पुर, 417	बरमसिया, 425	अर्जित अंश, खेसरा 415, 416	अर्जित अंश खेसरा, 412, 485
2	8	414	रैयती	बाड़ी–2	0.115	कारू शेख वो तालेवर शेख, पे० स्व० सहदेली शेख, (ज० रै०)। नि० ग्राम।				
3	13	488	रैयती	बाड़ी–2	0.51	पहलादी मांझी पे० स्व० दरोगा मांझी वो बटु मांझी पे० स्व० बाबुलाल मांझी। नि०ग्राम।				
4	17	393	रैयती	धानी–3	0.23	फुलो देवी पति स्व० धीरण राय (ज०रै०)। नि० ग्राम।				
5	17	396	रैयती	धानी–3	0.80	तथैव।				
6	17	410	रैयती	बाड़ी–2	0.26	तथैव।				
7	17	411	रैयती	बाड़ी–2	0.37	तथैव।				
8	23	490	रैयती	धानी–3	0.05	फुलो देवी वो नेपाल राय वो बिनोद राय पे० स्व० धीरण राय वो सेतोषी देवी पे० स्व० गोपाल राय। नि० ग्राम।				
9	23	491	रैयती	धानी–3	0.42	तथैव।				
10	24	489	रैयती	धानी–3	0.25	किसन राय वो सजवी देवी पे० स्व० जानकी राय। नि० ग्राम।				
11	24	493	रैयती	धानी–3	0.24	तथैव।				

12	30	412	रैयती	धानी–2	0.30	अहलाद राय पे० स्व० विजय राय वो यसोदा देव्या पति स्व० सुदर्शन राय वो प्रेम कुमार राय पे० स्व० भुदर राय वो गोलक राय पे० स्व० देवा राय वो बड़की देवी पति स्व० सुदन राय वो गणेश राय वो अकलु राय वो गोविन राय पे० स्व० सेवा राय वो तुफानी राय वो अंग्रेज राय पे० श्यामलाल राय। नि० ग्राम।				
13	31	413	रैयती	बाड़ी–1	0.19	तथैव।				
14	33	320	रैयती	बाड़ी–2	1.40	नेमानी राय वो बाग राय पे० स्व० देवान राय वो पार्वती देवी वो रागी देवी वो अकली देवी पे० स्व० जगदीश राय वो शांति देवी वो धानो देवी पे० स्व० महावीर राय। नि० ग्राम।				
15	39	415	रैयती	बाड़ी–2	0.01	गोपी राय वो भोला राय पे० स्व० वोदी राय। नि० ग्राम।				
16	39	484	रैयती	धानी–3	0.43	तथैव।				
17	39	483	रैयती	धानी–3	0.14	तथैव।				
18	40	397	रैयती	बाड़ी–2	0.265	होसवली मियां वो कोदो मियां वो हुसैनी मियां, पे० बनवारी मियां (ज० रै०)।				
				कुल रकवा–	**5.985**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1070 / भू अ०, देवघर, दिनांक 15/9/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
8/9/20

15-09-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।